No.14(1)-E.Coord.I/97
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 3rd October, 1997.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- *Grant of ad-hoc bonus to the Central Government employees for the year 1996-97.*

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of *ad-hoc* bonus equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 1996-97 to the Central Government employees in Group C and D and all non-gazetted employees in Group B, who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. As for the year 1995-96, *ad-hoc* bonus shall be paid without any eligibility wage ceiling. The calculation ceiling of Rs.2500/- will, however, remain unchanged. The payment will also be admissible to the Central Police and Para-Military Personnel and personnel of Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administrations, which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

(i) Only those employees who were in service on 31.3.1997 and have rendered at least six months of continuous service during the year 1996-97 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year ranging from six months to a full year, the eligiblity period being taken in terms of number of months of service (rounded to the nearest number of months).

(ii) The quantum of ad-hoc bonus admissible under these orders will be based on the revised pay as per this Ministry's Notification No.50(1)/IC/97 dated 30.9.1997.

(iii) The casual labour who have worked for at least 240 days for each year for 3 years or more, will be eligible for this ad-hoc payment. The amount will be paid on a notional monthly wage of Rs.750/-. The amount of ad-hoc bonus payable will be $\frac{(Rs.750 \times 30)}{31}$ i.e., Rs.725.80 (rounded off to Rs .726/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.750/- per month, the amount will be calculated on actual monthly emoluments.

(iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

(v) In the matter where the aforesaid provisions are silent, clarificatory orders issued vide this Ministry's OM No.F.14(10)-E. (Coord)/88 dated 4.10.1988, as amended from time to time, would hold good.

3. The payments under these orders will be chargeable to the sub-head 'Salaries' in the relevant demand for grant of the organisations concerned.

4. The expenditure incurred on account of ad-hoc bonus is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/ Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(SHYAM SUNDER)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.
Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C.& A.G., U.P.S.C., etc. as per standard list.

सं. 14(1) संस्था-समन्वय-1/97

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 1997

कार्यालय ज्ञापन

षयः— *केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 1996-97 के लिए तदर्थ बोनस की मंजूरी।*

मुझे उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत न आने वाले समूह "ग", "घ" तथा समूह "ख" के सभी अराजपत्रित रकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 1996-97 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस मंजूर किए जाने के बारे में राष्ट्रपति होदय की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है। वर्ष 1995-96 की ही तरह इस तदर्थ बोनस का भुगतान बिना किसी अर्हता ोमा निर्धारण के किया जाएगा। तथापि 2500/- रुपए की परिकलन सीमा अपरिवर्तित रहेगी। यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा र्ध-सैन्य कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। यह आदेश संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों के उन कर्मचारियों पर भी ागू माने जाएंगे, जिन पर परिलब्धियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की पद्धति का अनुसरण किया जाता है तथा जो अन्य किसी बोनस या नुग्रह अदायगी की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :—

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.97 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 1996-97 के दौरान कम-से-कम छः महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(ii) इन आदेशों के तहत् स्वीकार्य तदर्थ बोनस की यह राशि दिनांक 30.9.97 को जारी इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-50(1)/कार्या.एकक/97 पर आधारित होगी।

(iii) नैमितिक कामगार जिसने पिछले 3 वर्षों या इससे अधिक समय के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम 240 दिवसों के लिए काम किया है, इस तदर्थ अदायगी का पात्र होगा। इस राशि की अदायगी 750/- रुपए प्रतिमास के काल्पनिक वेतन पर की जाएगी। अदा किए जाने वाले तदर्थ बोनस की राशि रुपए 750 x 30/31 अर्थात् 725.80 रुपए (726 रुपए में पूर्णांकित) होगी। ऐसे मामलों में जहां पर वास्तविक परिलब्धियां 750/- रुपए प्रतिमास से कम होती हों, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अन्तर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपए पर पूर्णांकित की जाएगी।

(v) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.14(10)-संस्था.(समन्वय)/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

. इन आदेशों के अंतर्गत अदायगियां संबंधित संगठनों की संगत अनुदानों की मांगों में उप-शीर्ष (वेतन) में प्रभार्य होंगी।

. तदर्थ बोनस पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना ।

. जहां तक, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा रीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

श्याम सुन्दर

(श्याम सुन्दर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।

प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि-आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित।